संख्या-204/2026/2351/सैंतीस-2-2026/002-1(22)/07टीसी-113089

प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-30 सितम्बर, 2026

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (सामान्य) के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-309/प.-2/आय-व्ययक अनुमान/2026-27, दिनांक-10.09.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-07-गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
4. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

7. प्रश्नगत धनराशि का आवंटन आय-व्ययक में उपलब्ध बजट के दृष्टिगत किया जा रहा है। धनराशि का नियमानुसार व्यय किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
8. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना) मानक मद 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-204/2026/2351(1)/सैंतीस-2-2026/002-1(22)/07टीसी-113089, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियो.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. सम्बन्धित उप निदेशक/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-204/2026/2351/सैंतीस-2-2026/002-1(22)/07टीसी-113089, दिनांक-30 सितम्बर, 2026 का संलग्नक-

गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (2026-27) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति
1	मेरठ	7.6864
2	बागपत	5.1044
3	गाजियाबाद	0.1000
4	गौतमबुद्धनगर	0.2264
5	बुलन्दशहर	20.9887
6	हापुड़	1.6380
7	सहारनपुर	6.8454
8	मुजफ्फरनगर	5.9973
9	शामली	0.1000
10	मुरादाबाद	7.1871
11	अमरोहा	5.3587
12	रामपुर	2.9096
13	बिजनौर	7.0090
14	सम्भल	7.2783
15	बरेली	8.5346
16	बदायूं	14.4573
17	शाहजहांपुर	7.7564
18	पीलीभीत	1.8468
19	अयोध्या	4.3082
20	अम्बेडकर नगर	3.3841
21	सुल्तानपुर	4.2381
22	बाराबंकी	6.1550
23	अमेठी	0.5929
24	गोण्डा	7.9272
25	बलरामपुर	2.5770
26	बहराइच	5.4659
27	श्रावस्ती	1.6760
28	बस्ती	2.0176

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29	संतकबीर नगर	0.1000
30	सिद्धार्थ नगर	0.1000
31	गोरखपुर	2.7257
32	महराजगंज	0.1000
33	देवरिया	1.5111
34	कुशीनगर	0.9797
35	प्रयागराज	13.9690
36	कौशाम्बी	2.8147
37	फतेहपुर	6.2630
38	प्रतापगढ	6.0352
39	झांसी	5.3710
40	ललितपुर	4.2192
41	जालौन	5.3214
42	बांदा	0.1000
43	चित्रकूट	0.1000
44	हमीरपुर	0.1000
45	महोबा	0.1000
46	लखनऊ	2.5292
47	उन्नाव	6.3637
48	रायबरेली	7.8134
49	हरदोई	13.7189
50	सीतापुर	8.3827
51	खीरी	12.7171
52	आजमगढ	11.9041
53	मऊ	1.0000
54	बलिया	5.9783
55	वाराणसी	6.4473
56	जौनपुर	14.4514
57	गाजीपुर	11.5156
58	चन्दौली	5.0483
59	मिर्जापुर	7.5477
60	सोनभद्र	2.8586

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

61	**संतरविदास नगर**	1.9947
62	**कानपुर नगर**	1.3141
63	**कानपुर देहात**	3.3517
64	**फर्रूखाबाद**	0.3651
65	**इटावा**	0.1000
66	**कन्नौज**	3.4083
67	**औरैया**	1.6767
68	**आगरा**	19.7186
69	**मथुरा**	5.6900
70	**मैनपुरी**	4.2879
71	**फिरोजाबाद**	6.5856
72	**कासगंज**	7.7836
73	**एटा**	6.4338
74	**अलीगढ**	14.4603
75	**हाथरस**	5.2769
योग-		**400.000**

(रूपये चार करोड़ मात्र)

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।